सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ *12, बुधवार,* शाके 1946-*जुलाई 03,* 2024

Asadha 12, Wednesday, Saka 1946- July 03, 2024

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा

अधिसूचना

कोटा, जुलाई 03, 2024

संख्या केटीजेड/मास्टर प्लान/इटावा :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उप धारा (1) एवं राजस्थान नगर विकास न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत इटावा के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप इटावा मास्टर प्लान-2041 के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैः-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी मे)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1-	इटावा	Itawa
2-	खोड़ावदा	Khorawada
3-	किशनपुरा अल्लापुर	KishanpuraAllapur
4-	डोली	Doli
5-	झाड़ोल	Jharol
6-	डडवाड़ा	Dadwara
7-	फतेहपुर	Fatehpur
8-	गोन्दी	Gondi
9-	मानपुरा	Manpura

इटावा मास्टर प्लान-2021 (प्रारूप) के संबंध में दिनांक 03.07.2024 से दिनांक 01.08.2024 तक (कुल 30 दिवस) की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/संस्था/विभाग द्वारा अपने आपत्ति/सुझाव कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को प्रेषित किये जा सकते है। आपत्ति/सुझाव, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर एवं अधिशाषी आधिकारी, नगर पालिका इटावा को भी प्रस्तुत किये जा सकतें है। इटावा मास्टर प्लान-2041 (प्रारूप) का अवलोकन उक्त समयावधि में किसी भी कार्यादिवस में कार्यालय नगर पालिका इटावा में किया जा सकता है। इस प्रारूप मास्टर प्लान से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र

कार्यालय नगर पालिका इटावा से क्रय किये जा सकते है तथा इटावा मास्टर प्लान-2041 (प्रारूप) को वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/ctp से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

नरहरी सिंह पंवार,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
कोटा, जोन, कोटा।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।